15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (58) वन/2020 जयपुर, दिनांकः— 31 JUL 2020

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

विषयः— Diversion of 0.016 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for Amrut Yojana. (FP/RJ/WATER/35465/2018)

संदर्भः—आपका पत्रांक एफ 14(Water/PHED)2019/संयुक्तरोड/प्रमुवस/1769 दिनांक 13.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर सूचना/टिप्पणी भिजवाने का श्रम करावेः—

1. आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित कर, नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित की है। प्रस्ताव में 0.016 हैक्टयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है जिसमें कुल 33 वृक्षों का पातन किया जाना है। निमयानुसार राज्य सरकार एक हैक्टयर से कम वाले प्रस्ताव पर विचार करती है, जिनमें अनुपातिक रूप से 50 वृक्षों के पातन से अधिक वृक्षो का पातन नहीं किया जा रहा हो, चूकिं उक्त प्रस्ताव में 0.016 है में कुल 33 वृक्षों का पातन किया जा रहा है जो अनुपातिक रूप से अधिक है। इसलिये उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार के स्तर से विचार किया जाना होगा।
2. नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर ने उक्त पत्र से स्पष्ट अकिंत नहीं है कि उक्त प्रस्ताव पर विचार राज्य सरकार द्वारा किया जाना है अथवा स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किया जाना है।
3. उक्त प्रस्ताव के साथ KML file की सीडी संलग्न नहीं है, जिसके अभाव में प्रस्ताव को विचार किया जाना संभव नहीं है।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

कार्यालय पताः— वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या— 0141—2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
letter/diversion/ajayfloder/